॥ पैरवी संवाद ॥

॥ पैरवी ॥

पब्लिक एडवोकेसी इनिशिएटिव्ज फॉर राइट्स एण्ड वैल्यूज इन इण्डिया (पैरवी)

वर्ष 9 अंक 8 सितम्बर–अक्टूबर 2008

इस अंक में

- **विश्व खाद्यान्न संकट**
  - *विभिन्न देशों में स्थिति*
  - *खाद्य संकट के संदर्भ में कृषि, जलवायु परिवर्तन, जैव ईंधन*
  - *भारत में खाद्य संकट*
- **मध्यप्रदेश में कुपोषण से बच्चों की मौतः** पैरवी फैक्टफाइंडिंग रिपोर्ट
- **पैरवी गतिविधियाँ**
- **समाचार जगत से**
- **आगामी गतिविधियाँ**

पैरवी कार्यकारी समिति

श्री अनुपम मिश्र (अध्यक्ष)
प्रो. संजय भट्ट (कोषाध्यक्ष)
श्रीमती वर्षा जोशी (सचिव)
श्री पी. एम. पॉल (सदस्य)
श्रीमती रंजना सहगल (सदस्य)
श्री भारत भूषण (सदस्य)

संपादक मण्डल.....

प्रो. संजय भट्ट
अजय के. झा
प्रशांत कुमार
रजनीश श्रीवास्तव

प्रिय साथियो,

हमें पैरवी संवाद का नया अंक आपको सौंपते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस अंक में हमने विश्व खाद्य संकट को टटोलने की कोशिश की है।

आज सारा विश्व खाद्य संकट की समस्या से जूझ रहा है। कुछ देशों का मानना है कि दुनिया में जिस तरह से खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी हैं उसका कारण आस्ट्रेलिया, यूक्रेन और अन्य जगहों पर पड़ा सूखा है। वहीं दूसरी तरफ विश्व खाद्य कार्यक्रम का मानना है कि बढ़ी हुई कीमतों के पीछे तेल तथा ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, जैव ईंधन तथा खाद्यान्न के बीच बढ़ती प्रतियोगिता, विकासशील देशों में खाद्यान्न की बढ़ती माँग तथा जलवायु में हो रहे परिवर्तन मुख्य कारण हैं।

विकसित देशों में लोग खाद्य पदार्थों के पर आय का 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा खर्च करते हैं वहीं कई ग़रीब देशों में लोग आय का 60 प्रतिशत और कभी–कभी 80 प्रतिशत तक खर्च करते हैं। बढ़ते हुए खाद्य मूल्यों ने कई परिवारों से उनका भोजन छीन लिया है और उन्हें भुखमरी से लड़ने पर विवश कर दिया है।

हमारे देश में भी भोजन का अधिकार तो लोगों को दिया गया है पर कितने लोगों को यह अधिकार प्राप्त है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तथा भुखमरी और कुपोषण को हटाने के लिए कई योजनाऐं चल रही हैं जैसे मध्यान्ह भोजन योजना, एकीकृत शिशु विकास योजना, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजना इत्यादि। मगर क्या हम इन कार्यक्रमों और योजनाओं की मदद से अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाए हैं ?

यह योजनाऐं कुपोषण और इसके चलते होने वाली मौतों को रोकने में कहाँ तक सक्षम हैं तथा सरकार इन सबके लिए कितनी प्रतिबद्ध है, इसके संदर्भ में पैरवी द्वारा मध्यप्रदेश के चार जिलों में अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो कि इन योजनाओं की सफलता का दंभ भरने वाली व्यवस्था की हकीकत को उजागर करते हैं। इस अध्ययन की एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी हम इस अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं।

हमने इस अंक में भारत और विश्व में मौजूदा खाद्य संकट के ऊपर प्रकाश डाला है तथा उन कारणों पर विस्तार से चर्चा की है जिनकी वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। हम आशा करते हैं कि पैरवी संवाद का यह अंक आपको ज्ञानवर्द्धक व रोचक लगेगा। हमेशा की तरह हम आपकी प्रतिक्रियाओं से सीखने की अपेक्षा रखते हैं।

धन्यवाद सहित

संपादक मंडल

विश्व खाद्यान्न संकट

आज विश्व के सभी देश ख़ासकर ग़रीब तथा विकासशील देश खाद्यान्न के संकट से गुज़र रहे हैं। जिस खाद्यान्न संकट के कारण करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर बन आई है, क्या वह ख़त्म होगा? या समय के साथ बढ़ता जाएगा? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ हो सकता है। ''अगर राष्ट्रों को वश में करना है तो तेल संपदा पर नियंत्रण कायम करें और अगर जनमानस को वश में करना है तो खाद्य सामग्रियों पर नियंत्रण रखें'' 1970 में अमेरिका के तात्कालीन विदेशमंत्री हेनरी किसिंगर का दिया गया यह बयान वर्तमान खाद्य संकट के संदर्भ में बहुत सटीक तथा भविष्यसूचक साबित हो रहा है। आइये देखें विभिन्न देखों में इसकी क्या स्थिति है।

लैटिन अमेरिका

आज लैटिन अमेरिका में खाद्य पदार्थों के दामों में भारी वृद्धि से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। पिछले दो वर्षों में लैटिन अमेरिका के देशों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 68 प्रतिशत वृद्धि हुई है। चावल की कीमत दोगुनी हुई है वहीं मक्के और गेहूं के दामों में क्रमशः लगभग 128 प्रतिशत और 123 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इंटर–अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के एक आंकलन के अनुसार छह खाद्य पदार्थों आटा, मक्का, माँस, सोया, चीनी और चावल के दामों में हुई निरंतर वृद्धि लैटिन अमेरिका के दो करोड़ साठ लाख अतिरिक्त लोगों को अत्यंत ग़रीबों की श्रेणी में धकेल सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लैटिन अमेरिका की 14 प्रतिशत आबादी (6 करोड़ 20 लाख) घोर ग़रीबी की शिकार है तथा भुखमरी से जूझ रही है। करीब 5 करोड़ 40 लाख लोग कुपोषण के शिकार हैं। हेती, एल सल्वादोर, गुवतिमाला, हान्दुरास, निकारागुआ, पेरू, कोलंबिया और अर्जेंटीना के हालात नाजुक बने हुए हैं। अर्जेंटीना कभी अनाज के अपार उत्पादन और भंडारण के लिए जाना जाता था, आज वहां आधी आबादी ग़रीबी का जीवन बसर कर रही है। मैक्सिको में 40 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में कुपोषण की शिकार है। ब्राज़ील में साढ़े चार करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं।

अफ्रीका

हेती, बुरकीना, फ्रांसो, केमरून, सेनेगल इन देशों में भोजन प्राप्त करने के लिए दंगे हुए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कीनिया में सूखे, खाद्य तथा तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण 2 करोड़ 60 लाख लोगों को खाद्य सहायता की ज़रूरत है। सोमालिया में खाद्य तथा आजीविका संकट के कारण जगह–जगह पर हिंसा तथा लूटपाट की घटनाऐं हो रही हैं। अब तक 19 संयुक्त राष्ट्र के तथा 13 ग़ैर सरकारी संस्थाओं के लोगों का अपहरण किया गया या उन्हें जान से मार दिया गया। आज अफ्रीका में 14 करोड़ लोगों को खाद्य सहायता की ज़रूरत है, जिसका कारण है आसमान छूती तेल और खाद्य सामग्री की कीमतें। इथोपिया, युगांडा जैसे देशों को भी इस भयावह खाद्य संकट से गुज़रना पड़ रहा है। इथोपिया में करीब 4 करोड़ 60 लाख लोगों को शीध्र खाद्य सहायता की ज़रूरत है। सोमालिया में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को खाद्य सहायता की ज़रूरत है तथा 2008 के अंत तक यह संख्या 3 करोड़ 50 लाख तक जा सकती है। युगांडा में 7 लाख 70 हजार लोगों को खाद्य सामग्री की शीध्र ज़रूरत है। दिजाबाउती में करीब 80000 लोग को खाद्य सामग्री की ज़रूरत है।

एशिया

लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के देशों की तरह एशिया के देशों को भी खाद्य संकट की भीषण समस्या से जूझना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में वैश्विक खाद्य तथा तेल संकट के कारण महंगाई 17 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच चुकी है। गेहूं तथा अन्य मुख्य खाद्य सामग्रियों को देश आयात कर रहा है जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति के चरमरा जाने के आसार हैं।

बंगलादेश में बढ़ती हुई खाद्य असुरक्षा जल्द ही खाद्य संकट का रूप ले सकती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बंगलादेश में 14.6 प्रतिशत जनसंख्या साधारण कुपोषण तथा 6.9 प्रतिशत गंभीर कुपोषण से जूझ रही हैं। इन दोनों आंकड़ों को अगर हम जोडें तो 21.5 प्रतिशत का आंकड़ा हम पाते हैं जो कि विश्व में मानित 15 प्रतिशत के आपात स्तर से ऊपर हैं। कम्बोडिया में महंगाई दर 10.8 प्रतिशत है जिसके कारण मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ गई, परिणाम स्वरूप पहले से ही ग़रीबी की मार झेल रहे 2 करोड़ 60 लाख लोगों के सामने गंभीर भोजन संकट पैदा हो गया है। इन्डोनेशिया में खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों के कारण आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। ग़रीब तथा मध्य वर्ग परिवारों को इस संकट से कई परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को भी विश्व खाद्य संकट ने बुरी तरह से जकड़ रखा है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रबंध निदेशक का कहना है कि बढ़ती हुई खाद्य कीमतें उस शांत सुनामी तूफ़ान की तरह हैं जो भविष्य में 1 अरब लोगों को उस स्थिति में पहुँचा देंगी, जहाँ उन्हें ग़रीबी और भूख की समस्या से जूझना पड़ेगा। उनका कहना है कि यह भूख की समस्या का एक नया चेहरा है तथा विश्व में दरिद्रता का सूचकांक बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2007 से अब तक खाद्य सामग्रियों की कीमत में 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत वृद्धि हो गई है।

वाशिंगटन स्थित "अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्था" का कहना है कि ग़रीब तथा विकासशील देशों में रहने वाले क़रीब 1 अरब 60 करोड़ लोग, जो कि आधे डॉलर से भी कम आय पर जीते हैं, उनको बढ़ते खाद्य मूल्यों के चलते अनेक परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। खाद्य संकट के कारण विश्व के 33 देशों में दंगे तथा हिंसा की घटनाऐं हो रही हैं। समृद्ध माने जाने वाले यूरोपीय संघ के 15 देशों में महंगाई की दर पिछले 14 वर्षों में सबसे ज़्यादा है।

अभी हाल ही में 5 जून 2008 को रोम में समाप्त हुए उच्च स्तरीय विश्व खाद्य सुरक्षा सम्मेलन में खाद्य संकट पर गंभीर चर्चा हुई जिसमें विश्व के 180 देशों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में एक घोषणा–पत्र जारी किया गया जो भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की ओर था। इस घोषणापत्र के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. विश्व खाद्य संकट विश्व के सभी देशों को एकजुट होने का इशारा कर रहा है। हम सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ से तथा अंर्तराष्ट्रीय दाताओं से यह मांग करते हैं कि वो विकासशील देशों तथा निम्न विकसित देशों को मदद पहुँचाऐं।
2. हम दो स्तर पर इस काम को कर सकते हैं। पहला, उन देशों को जल्द से जल्द मदद पहुँचाऐं जो इस तेल और खाद्य संकट से जूझ रहे हैं।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं को यह तय करना होगा कि जहाँ भी खाद्य संकट की स्थिति पैदा हो गई है उन क्षेत्रों में वह स्थानीय तथा क्षेत्रीय खाद्यान्न को ख़रीद कर संकट ग्रस्त देशों में सहायता पहुँचाऐं।
4. सभी क्षेत्रीय संस्थाओं जिनके पास आपात खाद्य सुरक्षा की तैयारियाँ हैं, उन्हें संकटग्रस्त देशों के साथ सहयोग करना चाहिए तथा बढ़ती खाद्य कीमतों को कम करने में भी सहयोग करना चाहिए।
5. सभी सरकारी तथा ग़ैर–सरकारी संगठनों का प्रयास होना चाहिए कि विकास तथा मानवीय सहायता में सहयोग करें तथा यह सहायता आपात से लेकर लंबे समय तक की होनी चाहिए।
6. सभी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास इस बात पर हों कि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता जल्द तथा प्रभावकारी रूप से संकट से जूझ रहे लोगों को मिले।
7. दूसरा स्तर होगा कृषि उत्पादन तथा व्यापार में तात्कालिक सहयोग पहुँचाकर।
8. सभी मुख्य संस्थाओं तथा सहयोगी देशों को उन देशों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए जो सहयोग की अपेक्षा करें ताकि नई नीतियों को लागू किया जा सके और किसानों, छोटे उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले और वह क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपने उत्पाद भेज सकें।
9. विकास से जुड़े सहयोगियों से यह अपील है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद करें। उन्हें ग़रीब तथा खाद्य संकटग्रस्त देशों में खाद्य भंडार को बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा के नए उपायों को मज़बूत करने पर ध्यान देना होगा।
10. हम सभी देश यह प्रण करें कि भोजन, कृषि व्यापार तथा व्यापार नीतियों को खाद्य सुरक्षा के अनुकूल बनाऐंगे तथा उन प्रतिबंधित कदमों का प्रयोग नहीं करेंगे जिनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़े।
11. बदलती हुई जलवायु के कारण खाद्य उत्पादन में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, उनसे निपटना होगा। जैव विविधता को बनाए रखना भविष्य के उत्पादन के लिए अहम है। सभी देशों से यह अपील है कि वह अपने यहाँ कृषि, जंगल तथा मत्स्य क्षेत्रों को विशेष सहायता तथा ध्यान दें ताकि छोटे किसानों तथा मत्स्य पालन करने वाले लोगों के पास आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हों।
12. हम अर्न्तराष्ट्रीय समुदाय मुख्यतः निजी क्षेत्र से अपील करते हैं कि वो खाद्य तथा कृषि के लिए विज्ञान तथा

तकनीक में निवेश करें।

13. विश्व खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, तथा विकास की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जैव ईंधन द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों तथा अवसरों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
14. हम खाद्य तथा कृषि संस्थान संयुक्त राष्ट्र से तथा विश्व खाद्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आग्रह करते हैं कि विश्व खाद्य सुरक्षा की समय–समय पर समीक्षा करें तथा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई नीतियाँ बनाऐं।

खाद्य संकट और कृषि

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2008 के पहले तीन महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतें अपने 50 साल के सबसे उच्च स्थान पर थे। कृषि उत्पादों की कीमतें वर्ष 2006 से बढ़नी शुरू हुईं तथा 2007 और 2008 में अपने शीर्ष स्तर पर हैं। खाद्य तेलों की कीमतें क़रीब 97 प्रतिशत बढ़ीं जबकि अनाज के दाम 87 प्रतिशत, दुग्ध उत्पादों की कीमतें 58 प्रतिशत और चावल 46 प्रतिशत बढ़ गए। खाद्य उत्पादन में बड़े उछाल की जरूरत है क्योंकि यह अनुमानित है कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या 6.4 अरब से बढ़ कर करीब 9 अरब हो जाएगी। घटती हुई जमीन की मात्र तथा घटता हुआ जल स्तर कृषि उत्पादन के लिए बड़ी चुनौती है।

आज विश्व में ख़ासकर विकासशील देशों में यह ज़रूरत है कि कृषि को प्रधान महत्व दिया जाए। ऐसी नीतियाँ बनाने की जरूरत है जिनसे छोटे किसानों को मदद हो तथा उन्हें उत्पादन बढ़ाने मे सहायता प्राप्त हो। किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिले तथा उनका उत्साह बढ़े ताकि वे कृषि उत्पादन में अपना श्रेष्ठ योगदान दे सकें। औद्योगीकरण के इस युग ने सरकारों का ध्यान कृषि से मोड़ दिया है और आज इस खाद्य संकट की घड़ी में यह प्रश्न सबके सामने खड़ा है कि विकास के लिए क्या मात्र औद्योगीकरण ही एक उपाय है? आज उद्योगों तथा कृषि नीतियों में एक सामंजस्य लाने की ज़रूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान कृषि क्षेत्र को छोड़ कर ना जाए। चाहे वह खाद्य सब्सिडी हो या मुफ्त बिजली या कर्ज माफ़ी की योजना हो, सरकारों को ऐसे क़दम उठाते रहने होंगे ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके और वह कृषि उत्पादन को आगे बढ़ा सके।

खाद्य संकट और जलवायु परिवर्तन

जलवायु में हो रहे परिवर्तन से कृषि उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। बहुत सारे विश्लेषण यह बताते हैं कि जलवायु में होने वाले बदलाव से खाद्य उत्पादों के उत्पादन में गिरावट आएगी। उदाहरण के रूप में 2030 तक विश्व में गेहूं, चावल, दुग्ध उत्पाद, मांस तथा चीनी के उत्पादन में 2 से 6 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है तथा 2050 तक यह प्रतिशत 5 से 11 तक चला जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की पीटरसन संस्था का कहना है कि विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में 10 से 25 प्रतिशत की कमी आ सकती है। बदलती हुई जलवायु के कारण भारत की कृषि उत्पादन क्षमता में 40 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है, जो कि भविष्य में गंभीर खाद्य संकट पैदा करेगी। बढ़ते हुए कार्बन डाईऑक्साइड से हमारी जलवायु को गंभीर ख़तरे उत्पन्न हो रहे हैं। समुद्रों में रासायनिक कचरों का प्रवाह वहाँ के जल–जीवों को नुक़सान पहुँचा रहा है। सभी देशों की इस समस्या पर गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है तथा जलवायु को बढ़ते नुक़सान से रोकने की आवश्यकता है।

मौसम में अचानक आए परिवर्तन एक संकेत हैं आने वाले जलवायु संकट का। आज विश्व भर में कहीं न कहीं, कोई न कोई देश या तो सूखे से या बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। नतीजतन कृषि व्यवस्था को नुक़सान हो रहा है और खाद्य संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। असमय बारिश तथा बर्फ़ गिरने के कारण अनाज बर्बाद हो रहे हैं। मौसमों के समय में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। कहीं गर्म मौसम महीनों तक चल रहा है तो कहीं बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन सबका ख़ामियाजा विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि इन देशों के पास ऐसी मज़बूत आर्थिक व्यवस्था का अभाव है जो उन्हें मुश्किल समय से निकाल सके। अब चाहे वो एशिया के देश हों या अफ्रीका के, मौसम की मार सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या को प्रभावित करती है।

खाद्य संकट और जैव ईंधन

जैव ईंधन की बढ़ती हुई मांग ने खाद्य संकट की समस्या को गंभीर बनाने में मदद की है। जैव ईंधन की बढ़ती मांग के कारण आज दुनियाभर में कृषि भूमि को अनाज उत्पादन की राह से ईंधन उत्पादन की ओर मोड़ दिया है। एक अनुमान यह है कि वर्ष 2020

तक लोग 40 करोड़ टन अनाज को प्रत्येक वर्ष जलाएंगे जो कि विश्व के कुल चावल उत्पादन के बराबर होगा। अरबों डॉलर की राशि सहायता के रूप में उन देशों को दी जा रही है, जो अपने यहां जैव ईंधन की उपज को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जैव–डीज़ल का उत्पादन किया जा सके। एक तरफ हम खाद्य संकट को सुलझाने के लिए कृषि तथा जलवायु पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं वहीं जैव ईंधन की खेती एक बड़ी समस्या बन कर इस रास्ते में खड़ी हो गई है। एक अनुमान के अनुसार अप्रैल 2006 से अब तक 80 लाख हैक्टेयर भूमि को अमेरिका मे गेहूं, चावल, मक्का आदि से हटा कर जैव ईंधन उत्पादन के लिए उपायोग किया जा रहा है। यूरोप के देशों ने कुल उपयोग किये जाने वाले ईंधन में 5.7 प्रतिशत जैव ईंधन के उपयोग का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि 20 प्रतिशत यूरोपीय संघ द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री ईंधन के लिए उपयोग होगी। अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्था का मानना है कि जैव ईंधन के लिए कृषि भूमि के उपयोग ने विश्व खाद्य मूल्यों को एक तिहाई बढ़ा दिया है।

बढ़ती हुई जैव ईंधन की खेती से केवल खाद्य संकट ही नहीं बल्कि जलवायु को भी नुक़सान हो रहा है। पूर्व तथा दक्षिण एशिया के देशों में सिर्फ जैव ईंधन की खेती के लिए 20,000 किलोमीटर जमीन से पेड़ों को काट दिया गया है। इसके कारण जहाँ बारिश अपने समय पर होती थी अब वहाँ सूखे की स्थिति है तथा पेड़ों के कटने के कारण क्षेत्र तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। मलेशिया ने यह निर्णय लिया है कि जैव ईंधन की खेती को बढ़ावा देंगे तथा देश के 5 लाख टन के डीजल आयात में कमी लाएंगे। वहाँ की सरकार ने जैव ईंधन पैदा करने वाले तीन पौधों से 60 हजार टन जैव डीज़ल उत्पादन का लक्ष्य रखा है। चीन ने जैव ईंधन उत्पादन के कार्यक्रम को वर्ष 2000 से शुरू किया जिससे वह अपने देश में ईंधन की कमी, वायु प्रदूषण तथा ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को पूरा कर पाए। आज चीन में 80 प्रतिशत से ज़्यादा इथेनोल का उत्पादन चावल, मक्का तथा कसावा से किया जा रहा है। आज चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनोल उत्पादक देश है और सालाना 3 अरब लीटर का उत्पादन कर रहा है। इस उत्पाद का 30 प्रतिशत वह विश्व में बेच देता है। आज इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, जापान, फिलीपींस, ताईवान, आस्ट्रेलिया जैसे देश जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। 2005 में अमेरिकी कांग्रेस ने ईंधन के लिए इथेनोल के इस्तेमाल का कानून बना दिया था। इस कानून के साथ ही न सिर्फ मकई की खेती के लिए सब्सिडी भी दी जाने बल्कि कई संसाधनों का इस्तेमाल खाद्यान्न के बजाय ईंधन के लिए होने लगा। इथेनोल का उपयोग न तो ग्लोबल वार्मिंग को रोक सका है और न ही पर्यावरण प्रदूषण को कम कर पाया है।

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया कि मौजूदा खाद्य संकट का कारण भारत और चीन में मध्यवर्ग के लोगों का सम्पन्न होना है। जिसके कारण इन देशों में खाद्य पदार्थों का ज़्यादा उपभोग होने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि आज भारत के मध्य वर्ग की आबादी 35 करोड़ है जो कि हमारे देश की कुल आबादी से भी ज़्यादा है और जब आपके पास अच्छी मात्रा में धन आने लगता है तो आप ज़्यादा पौष्टिक भोजन का उपयोग करने लगते हैं। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति यह बयान देते समय भूल गए कि भारत में जहाँ प्रतिव्यक्ति अनाज का उपयोग 178 किलो है वहीं यह आंकड़ा अमेरिका में 1046 किलो है। भारत में दूध का उपभोग प्रतिव्यक्ति 36 किलो है वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 78 किलो है।

खाद्य संकट और भारत

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत घटा है। जहाँ यह प्रतिशत 1982–83 में 36.4 था वहीं यह घट कर 18.5 प्रतिशत रह गया है। इसके बावजूद कृषि क्षेत्र 52 प्रतिशत लोगों को काम उपलब्ध करता है। पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र के बजाय सेवा क्षेत्र में बढ़ावा हो रहा है जिससे ग्रामीण लोगों पर प्रभाव पड़ा है। इसके कारण ग़रीबी, भूख तथा स्वास्थ्य सुविधा जैसे मुद्दे ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन कर उभरे हैं।

भारत में खाद्य संकट से जुड़े कुछ मुख्य कारण

जन वितरण प्रणाली

आज देशों में लाखों टन अनाज जो कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से ग़रीब लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, वह पूर्ण रूप से ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कुप्रबंधन या अर्थव्यवस्था ही कहा जायेगा कि देश के करोड़ों ग़रीबों का राशन माफ़िया डकार जाते हैं। राजधानी दिल्ली में ही करीब पौने दो लाख फ़र्जी राशन कार्डों को ज़ब्त किया गया। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम से एक से ज़्यादा कार्ड हैं। आज देश में 63 फ़ीसदी बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। खाद्यान्न की उपलब्धता होने के बावजूद देश के इन ग़रीब बच्चों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता। एक तरफ़ इस वर्ष देश में 2306 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, वहीं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में वर्ष

1997 से 2007 तक एक दशक की अवधि में दस लाख टन से अधिक खाद्यान्न नष्ट हो गया। करोड़ों रूप्ये मूल्य के इस खाद्यान्न से देश के एक करोड़ ग़रीबों का पेट लगातार एक वर्ष तक भरा जा सकता था। इतना ही नहीं, नष्ट हुए खाद्यान्न को निस्तारित करने के लिए भारत सरकार को 2.59 करोड़ रूपये की भारी धनराशि साफ–सफाई व अन्य इंतज़ामों में अतिरिक्त ख़र्च करनी पड़ी। खाद्यान्न नष्ट होने की यह स्थिति तब है जब इसके संरक्षण पर भारत सरकार सालाना 245 करोड़ से कहीं अधिक धनराशि खर्च करती है। सवा अरब की आबादी का आंकड़ा पार कर चुके इस देश में ग़रीबों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सस्ता खाद्यान्न पाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था पर निर्भर है। लेकिन सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सुविधा देने वाले बीपीएल राशन कार्ड ग़रीबों को कहीं बहुत कम मिले तो कहीं ग़रीबों के बजाय अमीरों को थमा दिए गए। ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सात करोड़ परिवार भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में शामिल हैं तथा राज्य सरकारों ने दस करोड़ लोगों को कार्ड जारी कर रखे हैं। जाँच के बाद दिल्ली में ही 14 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्ड ख़ारिज किये गए हैं। अब तक सर्वाधिक फ़र्जी राशन कार्ड मध्य प्रदेश में (24.87 लाख) तथा आंध्र प्रदेश में (10.46 लाख) ख़ारिज किये गये। पिछले दो वर्षों के दौरान देश के तेरह राज्यों में 67.45 लाख राशन कार्ड ख़ारिज किये जा चुके हैं। आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रणाली में कार्ड की जगह भोजन के कूपन ग़रीबों को बाँटे जाऐं ताकि अनाज उन तक पहुँच सके।

इससे काला बाज़ारी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। कई राज्यों में भूख के कारण मौत होने की खबरें आज आम बात हो चुकी हैं और ऐसी मौतों को सरकारी तंत्र बीमारी से मौत होने का कारण बता अपनी ज़िम्मेदारी से हट जाता है। ''वर्ष 2007 में उड़ीसा में संतरा नाईक नाम के व्यक्ति की भूख के कारण मृत्यु हो गई, जबकि उसके पास बी.पी.एल. कार्ड तथा NREGA कार्ड भी था। वह अनाज नहीं ख़रीद पाई क्योंकि उसे कभी रोज़गार नहीं दिया गया। आज भी नाईक के परिवार को अन्त्योदय कार्ड नहीं मिल पाया है तथा उन्हें उनके कोटे के 25 किलो में से केवल 10 किलो अनाज ही मिलता है। इस 10 किलो अनाज को भी उनका परिवार 200 रुपयों से खरीद पाता है जो उन्हें विधवा पैंशन योजना के कारण मिलता है'' । (साभार : अरपन तुलसियन 19 जुलाई, 2008 इंडिया टुगेदर, उड़ीसा में भुखमरी)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA)

फरवरी 2, 2006 को 200 जिलों से प्रारंभ होकर आज देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना लागू हो गई है। ग्रामीण भारत की मूल आजीविका में एक बदलाव लाने के लिए देश में अब तक की यह सबसे शक्तिशाली पहल है। लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा और इससे उन्हें आय प्राप्त होगी जिससे वे अपने लिए खाद्य सामग्री ख़रीद सकेंगे। इस योजना की मूल विशेषता है इसके साथ 'गारंटी' का जुड़ा होना। इस गारंटी को लागू करने के लिए बेरोज़गारी भत्ते की व्यवस्था की गई है। बेरोज़गारी भत्ता देने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। मगर आज यह देखने में आ रहा है की कई राज्यों में लोगों को ना तो रोज़गार मिल रहा है और ना ही बेरोज़गारी भत्ता। नतीजतन भूख और ग़रीबी से मौत की घटनाऐं कई राज्यों में सामने आ रही हैं। हर दिन 10 हज़ार भारतीय भूख के कारण मौत का शिकार होते हैं तथा साल में 40 लाख लोगों की मौत होती है। NREGA एक महत्वपूर्ण योजना है भुखमरी से लड़ने के लिए तथा इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है। (साभार : टाईम्स ऑफ इंडिया, सितंबर 17, 2007)

पर्यावरण तथा खाद्य सुरक्षा संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006–07 में उड़ीसा में NREGA के लिए 733 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए तथा उसका कहाँ उपयोग हुआ इस पर कोई जानकारी नहीं है। सी.ई.एस.एफ. के शोध के अनुसार राज्य के 19 जिलों में मात्र 5 दिनों का काम मिला तथा कई ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार कार्ड तक नहीं मिले। इस कारण राज्य में भूख से कई मौतें हुई हैं। NREGA के लागू करने की अगर यही दशा रही तो खाद्य संकट और भुखमरी की समस्या बढ़ती ही चली जाएगी।

भारत में जैव ईंधन

आज भारत भी जैव ईंधन को एक विकल्प के रूप में देख रहा है जो उसे डीज़ल तथा पेट्रोल के आयात से मुक्त कर सकता है। इसके लिए रतनजोत, करंज, नागचामपा जैसे पौधों का परीक्षण किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की बढ़ती कीमतों ने सरकार को जैव ईंधन पर ध्यान देने के लिए विवश किया है। पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन मिशन की शुरूआत की गई है। यह मिशन जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है तथा सरकार का मानना है कि हम 20 प्रतिशत तक अपने डीज़ल आयात को कम कर लेंगे। वर्ष 2004–05 में भारत सरकार ने 9 करोड़ की राशि जैव ईंधन परियोजना में लगाई तथा इस वर्ष तक यह राशि बढ़ कर 45 करोड़ हो गई है। भारत में कई निजी तेल कंपनियों द्वारा इथेनोल के उत्पादन की तैयारियाँ की जा

रही हैं तथा कुछ उत्पादन कर भी रही हैं। भारत में गुजरात ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ जैव ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। यहाँ अब यह प्रश्न उभर कर आता है कि देश में अगर जैव ईंधन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तो अनाज उत्पादन पर क्यों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ? आज देश में गेहूं का आयात करना पड़ रहा है विदेशों से। देश कृषि में आत्मनिर्भर होने के बावजूद आंतरिक मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में कृषि भूमि पर जैव ईंधन का उत्पादन करना कितना उचित होगा यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

वर्ष 2005 में सेज कानून को भारत सरकार ने पारित किया। आज जहा विश्व में 400 सेज़ हैं तथा चीन में मात्र 6 हैं वहीं भारत में यह आंकड़ा 464 से ऊपर जा चुका है, जिसमें 356 केवल 7 राज्यों में हैं। (Mainstream, July 19 2008, Vol-31). राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ''कृषि भूमि को बचा कर रखना आज बहुत ही ज़रूरी हो गया है और इस भूमि को ग़ैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय ने भी कहा कृषि भूमि को उद्योग में लगाने के लिए उपयोग करने पर रोक लगनी चाहिए वरना भविष्य में यह कृषि उत्पादन में कमी का एक मुख्य कारण बनेगा तथा खाद्य संकट जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि बढ़ते हुए सेज परियोजनाओं से करीब 10 लाख लोग जो पूर्णतः कृषि पर आधारित हैं की आजीविका छिन जाएगी। कृषि तथा कृषि से जुड़े लोगों को प्रत्येक वर्ष करीब 212 करोड़ रुपयों का नुक़सान होगा। अगर इसी रफ़्तार से यह परियोजनाऐं कृषि भूमि पर बनती रहीं, जैसी कि पश्चिम बंगाल के सींगुर, उड़ीसा के जगतसिंहपुर और गोपालपुर तथा देश के अन्य राज्यों जैसे गुजरात में कांडला बंदरगाह की ज़मीन, महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले, गोवा में कई क्षेत्रों में, तो आने वाले समय में हमें कृषि योग्य भूमि की कमी पड़ सकती है। हम उद्योग तो किसी भी प्रकार की भूमि पर लगा सकते हैं। पर फसलों का उत्पादन केवल उपजाऊ भूमि पर ही हो सकता है।

आखिर कब तक जी सकेंगे भूखे पेट ?

मध्यप्रदेश में कुपोषण से हुई बच्चों की मौत पर पैरवी की फैक्टफाइंडिंग रिपोर्ट

जिस अनाज से भूख शांत होती है एक ओर जहाँ उसी को तैल में परिवर्तित किये जाने की प्रक्रिया ज़ारी है वहीं देश के कई हिस्सों में उसी अनाज की अपर्याप्तता के चलते भूख से होने वाली मौतों का सिलसिला भी ज़ारी है। भारत के केन्द्र में स्थित मध्यप्रदेश में इसके कुछ ताज़ातरीन उदाहरण सामने आए हैं।

भूख से मौत, पर सरकार उदासीन....

सतना, श्योपुर, खण्डवा और शिवपुरी जिले में कुपोषण के चलते बच्चों की मृत्यु पर रोकथाम के सम्बंध में जबलपुर उच्च न्यायालय के सख़्त निर्देशों के बावजूद सरकारी अमले ने सिर्फ दिखावटी कदम ही उठाए हैं, जबकि इन इलाकों में कुपोषण से बच्चों का मरना आज भी बदस्तूर ज़ारी है। जब पैरवी ने कुछ अन्य ग़ैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस संदर्भ में पड़ताल की तो पाया कि मात्र तेरह दिनों (13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2008) के छोटे से वक्फ़े में छः साल से कम उम्र के सात बच्चे कुपोषण की भेंट चढ़ काल का ग्रास बन चुके हैं। स्तब्ध करने वाली बात यह है कि इन मौतों और इनके कारणों की तरफ न तो सरकारी अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया है और न ही इस दिशा में कोई ठोस सुधारात्मक कार्यवाही की गई।

श्योपुर से मात्र 20 कि.मी. की दूरी पर एक छोटा सा गाँव राड़ेप है, जिसमें मुख्यतः सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। जब कुपोषण के संबंध में यहाँ के निवासियों, आई.सी.डी.एस. अधिकारियों, डॉक्टर व उन बच्चों के माता–पिता से बात की गई, जिनकी मृत्यु का कुपोषण से हुई है, तो पाया गया कि सरकार इस दिशा में पूरी तरह से उदासीन है और बच्चों की लगातार मृत्यु के बावजूद आई.सी.डी.एस. या फिर सरकारी स्वास्थ्य विभाग के सम्बंधित अधिकारियों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 26 सितम्बर 2008 को जबलपुर उच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार से सम्बंधित दायर एक जनहित याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्योपुर, खण्डवा तथा शिवपुरी आदि के जिलाधिकारियों से कुपोषण के चलते हुई मौतों के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा था। दायर जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि इन चार जिलों में कम से कम 163 बच्चों की मौत कुपोषण से हो चुकी है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह विचार व्यक्त किया था कि इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि इन बच्चों की मौत कुपोषण के चलते हुई हो।

मृत बच्चों के माता–पिता ने बताया कि लगातार हो रही मौतों के बावजूद सरकारी अमले ने कोई कदम नहीं उठाया है। बताया गया कि निजी चिकित्सकों के इलाज के बावजूद लम्बे समय तक बीमार रहने के बाद इन बच्चों की मौत हो गई। यह भी उल्लेखनीय है कि गाँव वालों ने दवाओं और डॉक्टरों की अनुपलब्धता तथा स्टाफ के रूखे व्यवहार के चलते सरकारी अस्पतालों में जाना बन्द कर दिया है।

कब खाया था भरपेट, याद नहीं....

चाहे वह सतना हो या फिर श्योपुर, आदिवासी बच्चों को सिर्फ़ नमक–मिर्च के साथ ही चावल या रोटी खाते देखा गया। यह उनके लिए

किसी दावत से कम नहीं कि भाग्यवश सप्ताह में एक बार दाल खाने को मिल जाए। बच्चों को यह याद नहीं कि उन्होंने कब आखिरी बाद दूध, माँस या फल खाया था।

बीमारी या कुपोषण....

हालांकि सतना के जिलाधिकारी, आदिवासी बच्चों में कुपोषण की स्थिति को स्वीकार करते हैं परन्तु इसके बावजूद वे यह नहीं मानते कि बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। उनका कहना है कि इन बच्चों की मृत्यु पीलिया, डायरिया और बुखार या फिर लू लगने जैसी विभिन्न बीमारियों के चलते हुई है। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी मानते हैं कि गन्दगी के चलते संक्रमण और परिवार नियोजन का अभाव ही इन बच्चों की मृत्यु का कारण है न कि कुपोषण। हालांकि इस बात के पर्याप्त चिकित्सकीय उदाहरण मौजूद हैं कि कुपोषण मौत का कारण बनने वाली उपरोक्त बीमारियों के होने की सम्भावनाओं को बढ़ाता है साथ ही इसके चलते बच्चों में असंख्य मारक संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है।

भोपाल हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य और केन्द्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में गठित एक कमेटी ने सितम्बर माह के आखिरी सप्ताह में सतना जिले का दौरा किया था, हैरानी की बात है कि यह कमेटी जिले में कहीं भी तीसरे और चौथे दर्जे का कुपोषण चिन्हित करने में असमर्थ रही।

इधर ग़ैर सरकारी संस्थाओं के दल ने सहरिया, कोल, मवासी और बैगा जनजाति के 200 आदिवासियों से उनके गाँव राड़ेप (श्योपुर), भट्ठन टोला और चितहरा (सतना) तथा चौफाल कोठार (सीधी) जा कर बातचीत की। इस बातचीत में पाया गया कि ज़्यादातर बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं और वे इस हद तक कुपोषित हैं कि उन्हें गंभीर संक्रमण या फिर बीमारियाँ कभी भी अपना शिकार बना सकती हैं। हालांकि कुपोषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषणाहार देने की व्यवस्था की गई है परन्तु नाम न उजागर होने की शर्त पर एक आई.सी.डी.एस. सुपरवाईजर ने बताया कि पोषणाहार प्रदान करने के लिए 248 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी थी जबकि अभी तक मात्र 44 कार्यकर्ताओं की ही नियुक्ति हुई है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि जहाँ कार्यकर्ता उपलब्ध हैं वहाँ भी आंगनबाड़ी केन्द्र आदिवासियों के लिए कुछ खास मददगार साबित नहीं हुए हैं।

कुपोषण के चलते जिला श्योपुर के एक ही गाँव राड़ेप में असमय काल का ग्रास बने बच्चे (समयावधि : 13–25 अक्टूबर, 2008)

क्र.	बच्चे का नाम	अभिवावक का नाम	उम्र	जिस दिन मृत्यु हुई
1	नरेश	सुनील	1½ वर्ष	13 अक्टूबर 2008
2	वर्षा	मनीष	1½ वर्ष	15 अक्टूबर 2008
3	खुशबू	राजवीर	1½ वर्ष	15 अक्टूबर 2008
4	लालू	प्रीतम	1½ वर्ष	15 अक्टूबर 2008
5	अन्जू	बैद्या	6 वर्ष	19 अक्टूबर 2008
6	बिटासा	बनवारी	1½ वर्ष	22 अक्टूबर 2008
7	करन्ता	सुशीला देवी	1½ वर्ष	25 अक्टूबर 2008

सुविधाएँ या बाज़ार....

आजीविका कमाने के लिए दिन–रात मशक्कत करते आदिवासियों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे अपने बच्चों को ऐसे केन्द्र में छोड़ कर जाएं जहाँ उनकी देखभाल मात्र चार घण्टे (सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक) के लिए की जाती हो, क्योंकि ऐसे में यह एक समस्या है कि काम पर गए माता–पिता के बिना 12 बजे के बाद वह बच्चा कहाँ जाए, जबकि उसकी उम्र 5 वर्ष से कम है।

यहीं अगर एक नज़र आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति पर डाल ली जाए तो आसानी से पता चल जाता है कि ये केन्द्र न तो बच्चों को कुपोषण से बचाने में सक्षम हैं और न ही उनकी देखभाल में। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है तो इस संबंध में पाया गया कि अधिकांश आदिवासी निजी चिकित्सकों से इलाज करवाना ही पसंद करते हैं या फिर ऐसा करने को मजबूर हैं, क्योंकि निजी चिकित्सक उनका इलाज उधार पर भी कर देते हैं और उनकी उपलब्धता भी अधिक समय तक है, जबकि सरकारी चिकित्सक दिन में सिर्फ चार घण्टे ही उपलब्ध रहते हैं, ऊपर से उनके पास गए मरीजों को यह सलाह भी दी जाती है कि यदि उन्हें अपना बेहतर ईलाज करवाना है तो वे इन चिकित्सकों द्वारा चलाए जा रहे निजी अस्पताल पर इलाज करवाने आएं। यह भी पाया गया कि जच्चा–बच्चा को कुपोषण से बचाने के लिए जो मुफ्त आयरन–विटामिन टेबलेट या फिर आई.सी.डी.एस. से पोषण मिलना चाहिये वे भी इन्हें मुश्किल से ही मिल पाते हैं और जननी सुरक्षा योजना के तहत जननी को दी जाने वाली 1600 रु. की धनराशि का आधा हिस्सा भी प्रायः अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। ऐसे में इन केन्द्रों से आदिवासियों का भरोसा उठ चुका है और वे निजी चिकित्सकों से इलाज करवाने के लिए बाध्य हैं। इस

तरह ये आदिवासी अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा दवा पर ही खर्च कर देते हैं और इससे उपजी तंगहाली कुपोषण को और अधिक विकट बना देती है।

चूंकि रोज़गार को भोजन के अधिकार से अलग करके नहीं देखा जा सकता इसीलिए एक ओर रोज़गार को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं वहीं स्थिति यह है कि जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो ज्ञात हुआ कि इन जिलों में इस पूरे वर्ष के दौरान अक्टूबर 2008 तक लोगों को 30 दिन से अधिक का काम नहीं मिला है। सतना जिले के कोल और मवासी आदिवासियों ने बताया कि गाँवों में कुछ दिनों के लिए काम उपलब्ध हुआ भी था तो यह सिर्फ उन लोगों को मिला जो गाँव के सरपंच के निकट थे अन्यथा शेष को एक भी दिन का काम नहीं मिला। जिन्हें काम मिला भी उन्हें 85 रु. प्रतिदिन की मजदूरी के बजाय मात्र 69 रु. प्रतिदिन के हिसाब से ही भुगतान हुआ। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काम खत्म किये 6 महीने से भी अधिक समय बीच चुका है परन्तु उन्हें किये गए काम की मज़दूरी अभी तक नहीं मिली। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे नियमानुसार बेरोज़गारी भत्ता मिला हो।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रति 1000 नवजात बच्चों में 72 की मृत्यु दर के कारण मध्यप्रदेश वैसे भी शिशु मृत्यु दर तालिका में ऊँचा स्थान रखता है। गम्भीर बात यह है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चरण की रिपोर्ट में 60.3 प्रतिशत बच्चों को कुपोषण का शिकार बताया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वितीय चरण की रिपोर्ट से इसकी तुलना की जाए तो पता चलता है कि राज्य में कुपोषण की स्थिति में अब पहले की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यह सारी परिस्थितियाँ बताती हैं कि राज्य उन पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति में पिछड़ गया है जो कुपोषण से निपटने के लिए आवश्यक हैं और यह स्थिति राज्य के मासूम बच्चों को अकाल मृत्यु की बलिवेदी पर अर्पित कर रही है। यदि जल्द ही इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो बहुत से अन्य आदिवासी बच्चे कुपोषण की भेंट चढ़ जाऐंगे, दुर्भाग्यवश चुनावों के चलते इस बात की सम्भावना कम नज़र आती है कि इस दिशा में कोई ठोस कदम शीघ्र उठाया जाएगा।

पैरवी गतिविधियाँ

एडवोकेसी पर पाँच दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

23–27 सितम्बर 2008 को एडवोकेसी पर पाँच दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसमें देश के सात राज्यों की विभिन्न संस्थाओं से 30 प्रतिभागी शामिल हुए। इस कार्यशाला में एडवोकेसी, मानव अधिकार,, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, नीतियों व कार्यक्रमों में पारदर्शिता, सूचना का अधिकार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के संदर्भ में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विभिन्न सत्रों में विभाजित इस कार्यशाला में प्रस्तुतिकरण, सीधी बातचीत व विचार–विमर्श के माध्यम से प्रतिभागियों को एडवोकेसी के विभिन्न स्तरों की जानकारी प्रदान करते हुए विभिन्न मुद्दों पर एडवोकेसी के उपयोगी उपकरणों व आवश्यक बिंदुओं की जानकारी प्रदान की गई। अधिकार आधारित दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए पैरवी के निदेशक श्री अजय के. झा ने स्पष्ट किया कि क्यों एडवोकेसी के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एडवोकेसी के विभिन्न स्तरों व अधिकार आधारित दृष्टिकोण की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए प्रतिभागियों का क्षमतावर्द्धन किया।

इस कार्यशाला में मानवाधिकार के विभिन्न स्तरों, अधिकार आधारित दृष्टिकोण के अलावा सूचना का अधिकार पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार यह अधिकार मानवाधिकारों की निगरानी व सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए उपयोगी है। सूचना के अधिकार के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक बिन्दुओं (आवेदन व शिकायत प्रक्रिया आदि) पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला में भोजन व रोज़गार के अधिकार के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के मूलभूत सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करते हुए इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया व ग़ैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

इस कार्यशाला में प्रो. बलराज चौहान (उपकुलपति, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, लखनऊ) ने मानवाधिकार और मानवाधिकार मूल्यों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को दोष देने के बजाय यह ज़्यादा आवश्यक है कि हम मानवाधिकार की सुरक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित हों और समस्याओं को हल करने में एक सहयोगी इकाई का कार्य करें।, श्री इंद्रमणि राजा (संपादक, नज़र) ने एडवोकेसी के संदर्भ में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला व विस्तृत जानकाकारी प्रदान की। श्री विनोबा गौतम (यूनिसेफ) ने शिक्षा के अधिकार पर प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। श्री अरविंद (कार्यक्रम अधिकारी, एक्शन एड) एवं न्यायमूर्ति श्री कमलेश्वर नाथ (सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) ने भी अतिथि वक्ताओं के रूप में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।

भोजन के अधिकार पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

21 जुलाई 2008 को पैरवी तथा केयर (झारखंड) द्वारा संयुक्त रूप से रांची में ''भोजन के अधिकार'' मुद्दे पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में झारखंड की 50 से ज़्यादा ग़ैर–सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य झारखंड में भोजन के अधिकार की स्थिति पर प्रकाश डालना, अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा तथा उन उपायों और तरीकों की चर्चा करना था जो ग़ैर–सरकारी संस्थाओं को इस अधिकार से जुड़ी योजना के प्रबंधन और क्रियान्वयन में मदद कर सकें। पैरवी के निदेशक श्री अजय कुमार झा ने विश्व खाद्य संकट और भारत में खाद्य संकट और सुरक्षा पर उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। श्री बलराम, (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के सलाहकार) ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में काफी गुणात्मक सुधार आया है मगर अभी भी भोजन के अधिकार से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी रुप से लागू करने के लिए काफ़ी प्रयासों की आवश्यकता है। श्री गुरजीत सिंह (बी.जी.वी.एस.), श्री रमेश सरण (प्रोफ़ेसर, रांची विश्वविद्यालय), श्री सुजीत रंजन (राज्य समन्वयक, केयर झारखंड) ने क्रमशः मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व एकीकृत शिशु विकास योजना के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की व सरकार के उदासीन रुख पर चर्चा की। कार्यशाला में रोज़गार गारंटी योजना, सामाजिक अंकेक्षण व सूचना के अधिकार पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के अंत में भोजन के अधिकार के मुद्दों पर ग़ैर–सरकारी संस्थाओं की भागीदारी व निगरानी का सुझाव प्रमुखता से सामने आया।

सूचना के अधिकार पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

28 जुलाई 2008 को पटना, बिहार में पैरवी तथा निदान संस्था द्वारा संयुक्त रूप से सूचना के अधिकार विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राज्य के 22 जिलों से 60 संस्थाओं ने भाग लिया। राज्य सूचना आयुक्त श्री शकील अहमद ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अधिकार आम आदमी के लिए एक ऐसा औजार है जिससे वह राज्य में बेहतर शासन व भृष्टाचार पर अंकुश सुनिश्चित कर सकता है। उन्होंने बताया कि आयोग के सफल प्रयासों के बावजूद अभी भी जिला तथा ब्लॉक स्तर पर सूचना लेना पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है। श्री अजय कुमार झा, निदेशक, पैरवी ने कहा कि हम सभी संस्थाओं को अपने–अपने छोटे प्रयासों को एक साथ जोड़ कर एक आंदोलन की शक्ल देनी चाहिए जिससे सरकार को और जवाबदेह बनाया जा सके। श्री आशीष तथा श्री कामायिनी ने कानून के ऐतिहासिक पहलू और उसकी बारीकियाँ समझाते हुए विस्तार से बताया कि किस प्रकार किसी भी काम या योजना के बारे में सूचना मांगी जा सकती है।

श्री रामआश्रय प्रसाद सिंह, सचिव, पी.यू.सी.एल. (बिहार), श्री प्रमोद सिंह (वि.एम.एस.एस), तथा श्री रंजन सिंह (निदान) ने अपने–अपने अनुभवों तथा कानून की उपयोगिता की चर्चा की।

दलित अधिकार पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श

दलितों के भोजन और आजीविका के अधिकार पर एक राज्य स्तरीय परामर्श 27 अगस्त 2008 को लखनऊ (उ.प्र.) में आयोजित किया गया। इस परामर्श में भोजन के अधिकार और आजीविका से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, सामाजिक अंकेक्षण, भूमि सुधार, शिक्षा का अधिकार, मध्याह्न भोजन योजना आदि विषयों पर भी विचार–विमर्श किया गया।

उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में बैठक

पैरवी के नेतृत्व में नागर समाज संस्थाओं के एक दल ने उत्तराखण्ड के संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रकाश पंत से मुलाकात की। पैरवी के निदेशक श्री अजय के. झा ने उन्हें महिलाओं, आदिवासियों, बच्चों, भूमि आदि अधिकारों के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया व इन समस्याओं के निवारण के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की ज़रूरत से अवगत कराया। श्री पंत ने इस संदर्भ में कहा कि राज्य सरकार इस संदर्भ में संवेदनशील है और शीध्र ही इस दिशा में प्रयास किये जाएंगे। संस्थाओं के दल ने एक पब्लिक मीटिंग का भी प्रस्ताव रखा जिसमें अन्य राज्यों से मानवाधिकार आयोग के सदस्य अपने अनुभव साझा करें कि किस प्रकार मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। श्री प्रकाश पंत ने सरकार की ओर से राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया।

न्यायमूर्ति श्री एस.एन झा के साथ बैठक

20 अक्टूबर 2008 को पैरवी ने नवनिर्मित बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार में मानवाधिकार के मुद्दों, उनसे जुड़े संदर्भों व आयोग के समक्ष चुनौतियों पर बातचीत की गई व इस संदर्भ में एक परामर्श के आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। श्री झा ने इस आयोजन के प्रति हर्ष जताते हुए कहा कि वे पैरवी व अन्य गैर–सरकारी संस्थाओं के इस क्षेत्र में सहयोग को दूरगामी रूप में देखते हैं।

सूचना के अधिकार पर युवा कार्यशाला

पैरवी द्वारा उत्तराखंड के भीमताल में युवाओं के साथ सूचना के अधिकार पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में सूचना के अधिकार के मूल सिद्धांतों व देश के विभिन्न हिस्सों में तथ्यात्मक अध्ययन पर विस्तृत चर्चा की गई। सरकारी नीतियों को पारदर्शी व जवाबदेह बनाने में यह अधिकार किस प्रकार उपयोगी है व इसका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है इस संदर्भ में यह कार्यशाला काफी सफल रही। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में सूचना के लिए आवेदन भी किया।

समाचार जगत से

अविश्वास की चिंगारी

असम के दो बोडो बहुल जिलों दारांग और उदालगुड़ी में हुए हाल के सांप्रदायिक उपद्रवों से प्रभावित दो लाख से अधिक लोग अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। पिछले अगस्त महीने और फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुर्गी चोरी की एक मामूली सी घटना को लेकर आदिवासियों तथा अप्रवासी मुसलमानों के बीच हई हिंसा की वारदातों में दोनों पक्षों के 57 लोग मारे गए जबकि ढाई लाख से अधिक लोग शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए विवश हुए। कांग्रेस के एक जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोग वापस अपने घरों को लौट आए हैं लेकिन अभी भी दो लाख लोख भय और आतंक के माहौल में शिविरों में ही रह रहे हैं। इनमें से 60 फीसदी मुसलमान तथा 40 फीसदी बोडो, रांभा, गारो तथा अन्य जनजातियों के लोग हैं। जांच दल की राय में इस सांप्रदायिक हिंसा के लिए भाजपा, असम गण परिषद, आसू तथा इस तरह के अन्य सांप्रदायिक एवं अलगाववादी संगठनों के द्वारा तैयार किया गया अविश्वास का माहौल ही जिम्मेदार है। इस माहौल के चहते ही मुर्गी चोरी के आरोप में किसी को थप्पड़ मारे जाने की घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया। मारे गए 57 लोगों में से 27 लोग पुलिस की गोलियों से मरे। 1993–94 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद शरणार्थी शिविरों में गए लोगों में से 27 हजार लोग अभी तक अपने घरों को नहीं लौट सके। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी है कि एक छोटी सी घटना और उससे जुड़ी अफवाहें भी बड़े सांप्रदायिक उपद्रव और हिंसा का करण बन जाती हैं।

वर्षों बाद भी करोड़ों वंचित

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि सार्वभौमिक घोषणा के 60 साल बीत जाने के बाद भी करोड़ों लोग बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं। दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जिसकी इस बार की विषय वस्तु मानवाधिकार और निर्धनता में जीवन बिताने वाले लोग थी, के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मून ने अपने संदेश में कहा कि गरीब लोग प्रायः सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और शक्तिविहीनता का सामना करने को मजबूर होते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयासों में हमें मानवाधिकारों और समस्त लोगों की प्रतिष्ठा के प्रति अत्यधिक जागरूक रहना चाहिए।

खेल उद्योग में बाल मज़दूर

बाल श्रम के खिलाफ बनाये गए सख़्त केन्द्रीय कानून बेअसर साबित हो रहे हैं। बाल मज़दूरों पर कराये गए ताजा अध्ययन के अनुसार अकेले मेरठ और जालंधर में पाँच हजार से अधिक बच्चों से फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, वालीबॉल, बास्केट बॉल व बेसबॉल की सिलाई का काम लिया जाता है। बचपन बचाओ आंदोलन व इंटरनेशनल लेबर राइट फोरम द्वारा संयुक्त रूप से कराए गए अध्ययन के अनुसार खेल सामग्रियों के निर्माण कार्य में ठेकेदारों द्वारा मामूली पारिश्रमिक पर बड़ी संख्या में बाल मज़दूरों से काम लिया जाता है। भारत में खेल के 318 प्रोडक्ट बनाये जाते हैं। अध्ययन के अनुसार खेल उपकरणों की सिलाई के काम में शामिल बच्चों से 10 से 12 घंटे काम कराया जाता है। एक बॉल की सिलाई के एवज में उन्हें तीन से पाँच रुपये मज़दूरी दी जाती है। इस काम में संलग्न बच्चों ने कमर, हाथ, गर्दन और आँखों में दर्द की शिकायत की है। 10–12 घंटे में बच्चे अधिकतम दो फुटबॉल की सिलाई कर पाते हैं, जबकि भारतीय बाजार में मासूम हाथों से निर्मित फुटबॉलों की कीमत सौ से तीन सौ रुपये तक है।

बदहाल शिक्षा प्रणाली

केन्द्र व राज्य सरकारें बच्चों की पढ़ाई–लिखाई की गुलाबी तस्वीर भले ही पेश करती हो लेकिन ज़मीनी सच्चाई उससे मेल नहीं खाती। लगभग 16 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल अभी भी एकल शिक्षकों के भरोसे हैं। एक क्लासरूम में 92 बच्चे तक ठूंसे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ दस प्रतिशत स्कूल महज़ एक कक्षा में चल रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार आशंका है कि अलग–अलग मामलों में बिहार, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में देरी किए बिना ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए तो शिक्षकों की परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। मसलन बिहार में प्राइमरी के एक क्लासरूम में 92 बच्चों को एक शिक्षक कैसे संभाल सकता है। इसी तरह झारखंड में एक क्लासरूम में 79, उत्तरप्रदेश में 53, पश्चिम बंगाल में 50 बच्चे तक भी पढ़ते हैं। जबकि मानक के हिसाब से एक क्लासरूम में 40 बच्चे ही होने चाहिए। दूसरी ओर शिक्षकों की कमी अब भी एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्कूलों में लगभग 12 प्रतिशत और प्राइमरी स्तर पर लगभग 16 प्रतिशत स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिनमें से 94 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

सौ करोड़ भूखे लोग

पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोत्तरी से मंहगाई क्या बढ़ी दुनिया में भूखे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मूल्यवृद्धि के मौजूदा दौर से पहले विश्व में कुल 80 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को विवश थे। हाल के वर्षों में मंहगाई से इनकी संख्या में 10 करोड़ का और इजाफा हो गया है। आज दुनिया में लगभग एक अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ज़रूरत भर का दाना–पानी नसीब नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की ''दि स्टेट ऑफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर'' रिपोर्ट कुछ और चिंताऐं भी जाहिर करती है। मसलन, पेट्रोलियम ईंधन की कीमतें बढ़ने और इसके जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए नीति–निर्माताओं ने बायोफ्यूल को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए। परिणाम यह कि जिस जमीन पर अन्न उगना चाहिए वहां बायोफ्यूल उगने लगा। कई देशों में गेहूं, मक्का और गन्ने का इस्तेमाल बायोफ्यूल में होने लगा। प्रदूषण में कमी हुई किंतु खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर विश्व कमजोर पड़ने लगा। रिपोर्ट में सुझाया गया है कि सभी देशों की जैव ईंधन नीति पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए।

आगामी गतिविधियाँ

मिज़ीरियो के साथ बैठक

आगामी 11 नवम्बर 2008 को पैरवी की आर्थिक सहयोगी संस्था मिज़ीरियो (जर्मनी) के साथ पैरवी की बैठक है। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श किया जाएगा।

पैरवी कार्यकारी समिति की बैठक

14 नवम्बर 2008 को पैरवी कार्यकारी समिति की बैठक की जा रही है। इस बैठक में पैरवी द्वारा किये गए कार्यक्रमों पर समीक्षात्मक बातचीत, आगामी गतिविधियों व संस्थागत मुद्दों पर बातचीत की जावेगी।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर कार्यशाला

आगामी 17–19 नवम्बर को पैरवी द्वारा पानी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर केन्द्रित तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन फ़ैज़ाबाद में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में मानवाधिकार के क्षेत्र में अधिकार आधारित दृष्टिकोण की भूमिका व उपयोगिता के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार आधारित दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है इसे स्पष्ट करते हुए इसे किस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र में अपनाया जाए, इस विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राज्यस्तरीय एडवोकेसी कार्यशाला

पैरवी द्वारा आगामी 28–29 नवम्बर को बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में दो दिवसीय राज्यस्तरीय एडवोकेसी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में भोजन के अधिकार, रोज़गार का अधिकार, महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, भूमि संबंधी अधिकार जैसे जीवन के तमाम क्षेत्रों में एडवोकेसी करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। व्यक्ति को अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने व उन्हें प्राप्त करने में एडवोकेसी की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यशाला में सूचना के अधिकार, अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

बिहार में मानवाधिकार की मुख्य चुनौतियाँ : विमर्श

पैरवी व अन्य साथी संगठनों के पिछले प्रयासों के परिणामस्वरूप बिहार में नवगठित राज्य मानवाधिकार आयोग को सशक्त करने के लिए दिसम्बर 2008 में आयोग के साथ मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन पैरवी द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यशाला में बिहार में मानवाधिकार की स्थितियों व आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर विचार–विमर्श किया जाएगा। साथ ही इन चुनौतियों के हल के लिये गैर सरकारी संस्थाओं व आयोग की सहयोगात्मक कार्यविधि पर भी विस्तृत चर्चा की जावेगी।

साभारः
अरपन तुलसियन, 19 जुलाई 2008, इंडिया टुगेदर, उड़ीसा में भुखमरी; टाइम्स ऑफ इण्डिया, 17 सितम्बर 2007, हिन्दुस्तान : 10,15,16,18 अक्टूबर 2008 (दैनिक समाचार पत्र), दैनिक जागरण : 13 अक्टूबर 2008 (दैनिक समाचार पत्र)
Photographs: www.indiana.edu/~global/images/ffagrain.jpg, www.concurringopinions.com/archives/hunger.jpg, www.drivingethanol.org/images/FoodCrisis.jpg, www.wfp.org, library.thinkquest.org/.../Drought%202.jpg

(सीमित प्रसार के लिए प्रकाशित)

पैरवी

जी–30, प्रथम तल, लाजपत नगर III,
दिल्ली–110024

फोन : 011-29841266, 65151897
ई–मेल : pairvidelhi@rediffmail.com
pairvidelhi1@gmail.com
वैबसाईट : www.pairvi.org

Book-Post